मोरवन फैक्ट्री मामले में हाईकोर्ट ने स्टे वैकेट किया

शासन ने फैक्ट्री निर्माण के साथ जताई विकास और रोजगार की उम्मीद

नीमच, 6 फरवरी. नीमच जिले के मोरवन गांव में प्रस्तावित सुविधि रेयॉन्स टेक्सटाइल फैक्ट्री को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में बड़ा अपडेट सामने आया है.

इस प्रकरण में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा लगाया गया स्टे अब वैकेट कर दिया गया है. हालांकि न्यायालय का लिखित आदेश अभी आधिकारिक रूप से अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन को इसकी जानकारी मिल चुकी है और ऑर्डर की कॉपी कल मिलने की संभावना जताई जा रही

है. इस संबंध में एमपीआईडीसी के एडीएम राजेश राठौर ने बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा स्टे वैकेट कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि न्यायालय के इस निर्देश के बाद फैक्ट्री निर्माण का रास्ता साफ हो गया है और आने वाले समय में इससे क्षेत्र के विकास के साथ-साथ ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे.

गौरतलब है कि 18 नवंबर को इस परियोजना को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैक्ट्री निर्माण पर अंतरिम रोक लगाई थी. उस समय कोर्ट ने गोचर और चरनोई भूमि के व्यावसायिक उपयोग पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे. इसी आदेश के चलते फैक्ट्री निर्माण कार्य रुका हुआ था. साथ ही ग्रामीणों ने फेक्ट्री निर्माण से पर्यावरणीय प्रभाव और मोरवन बांध की सुरक्षा को लेकर गंभीर आपत्तियां प्रशासन के समक्ष दर्ज कराते हुए लगातार आन्दोलन किया था. मोरवन बांध इस पूरे विवाद का केंद्र रहा है. यह बांध जावद नगरपालिका सहित आसपास के 30 से अधिक गांवों को पेयजल और सिंचाई की सुविधा देता है. ग्रामीणों और किसानों को आशंका थी कि टेक्सटाइल फैक्ट्री से निकलने वाला अपशिष्ट यदि बांध के जल में मिला तो इससे जल प्रदूषण के साथ खेती और जनस्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.

सीएमओ अनूपपुर को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस

अनूपपुर. नगर पालिका अनूपपुर की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है. उद्यान (पार्क) की भूमि पर नगर पालिका भवन निर्माण के मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने आदेशों की अवहेलना मानते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रदीप कुमार झरिया को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, उद्यान की भूमि पर निर्माण कार्य को लेकर याचिकाकर्ता द्वारा पूर्व में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी. मामले की सुनवाई के दौरान दिनांक 28 अप्रैल 2025 को न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि याचिकाकर्ता के आवेदन पर 90 दिनों के भीतर नियमानुसार कारणयुक्त (स्पीकिंग) आदेश पारित किया जाए. किन्तु आरोप है कि नगर पालिका प्रशासन ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया. न तो आवेदन पर कोई निर्णय लिया गया और न ही नियमानुसार आदेश जारी किया गया. इसके विपरीत, प्रशासन द्वारा उद्यान की भूमि पर निर्मित नए भवन का लोकार्पण एवं उद्घाटन कर दिया गया, जिससे न्यायालय के आदेशों की खुली अनदेखी सामने आई.

अमरकंटक में दिखा बाघ राहगीर ने बनाया वीडियो

- जलेश्वर क्षेत्र के आसपास वन विभाग को मिले पगमार्क
- जंगलों में बीते तीन दिनों से बाघ देखे जाने की चर्चा

अमरकंटक, 6 फरवरी नवभारत. मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की विश्व प्रसिद्ध मां नर्मदा की उद्गम नगरी अमरकंटक के जलेश्वर क्षेत्र में गुरुवार-शुक्रवार की शहडोल-अमरकंटक मुख्य मार्ग पर बाघ के टहलने का वीडियो वहां से गुजर रहे कार सवार शिक्षक दंपति ने अपने मोबाइल में कैद किया हैं.

ज्ञात हो कि अमरकंटक जलेश्वर क्षेत्र और आसपास के जंगलों में बीते तीन दिनों से बाघिन की मूवमेंट देखे जाने की चर्चा है. जानकारी के अनुसार, पार्षद देवानंद खत्री के रिश्तेदार पेंड्रा (छग) निवासी शिक्षक दंपति ने जलेश्वर से घाट उतरते समय मार्ग पर सड़क पार करता बाघ को सड़क पर चलते और फेंसिंग पार करने की कोशिश करते देखा और कार से ही वीडियो बनाया जिसमें एक सियार भी आसपास घूमते और आवाज करते दिखाई दे रहा है. बाघिन जंगल की ओर जाना चाह रही थी, लेकिन सड़क किनारे वन विभाग द्वारा लगाए गए कांटेदार तार के कारण वह कुछ देर तक इधर-उधर घूमती रही, इसके बाद उसने छलांग लगाकर तार पार किया और जंगल की ओर चली गई. करीब दो मिनट के इस वीडियो में बाघिन की चहलकदमी साफ देखी जा सकती है. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम रात में ही मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बाघ जंगल में जा चुका था. शुक्रवार सुबह की जांच में वन विभाग को मौके पर बाघ के पैरों के निशान (पगमार्क) मिले हैं.

वन परिक्षेत्र अधिकारी वीरेंद्र श्रीवास्तव ने बाघ की मौजूदगी की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि यह बाघ संभवत: छत्तीसगढ़ के अचानकमर टाइगर रिजर्व से भटककर अमरकंटक पहुंचा होगा. वन विभाग की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं और आसपास के ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए मुनादी कराई जा रही है.

एक नजर में

अभिनेत्री रश्मि देसाई ने किए महाकाल दर्शन

उज्जैन,06 फरवरी. भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की धर्मपत्नी सविता वशिष्ठ ने शुक्रवार महाकाल दर्शन किए. पुजारी आशीष गुरु ने दर्शन व पूजन कराया. मंदिर समिति की ओर से कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने श्रीमती वशिष्ठ का स्वागत किया. इसके बाद वे प्रसिद्ध अंगारेश्वर महादेव मंदिर पहुंची जहां उन्होंने भगवान का अभिषेक-पूजन किया.

भाजपा जिला कार्यालय पर सुनी जनसमस्याएं

भिण्ड. भाजपा जिला कार्यालय पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में सहयोग सेल का आयोजन किया गया. इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं एवं आम जनता की जन समस्याओं को गंभीरता से सुना गया. सहयोग सेल में भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरवरिया, जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह भदौरिया एवं जिला मंत्री राधा कृष्ण शर्मा ने संयुक्त रूप से जनता एवं कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना तथा प्राप्त आवेदनों को समाधान हेतु जिला प्रशासन को प्रेषित किया ताकि समस्याओं का समय-सीमा में निराकरण किया जा सके.

कैसे विवादित जमीन को खाली कराने का दिया आदेश

- बुरहानपुर कलेक्टर से हाईकोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण

जबलपुर, 6 फरवरी. मप्र हाईकोर्ट ने जमीन संबंधी विवाद पर बुरहानपुर कलेक्टर से स्पष्टीकरण मांगा है.

जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने पूछा है कि जब विवादित जमीन का मामला पहले से विचाराधीन है तो उन्होंने जमीन खाली करने का आदेश कैसे पारित कर दिया, इसके लिये क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। एकलपीठ ने कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए केन्द्र सरकार, नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन नई दिल्ली और बुरहानपुर ताप्ती मिल्स को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है। एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को निर्धारित की है।

यह मामला बुरहानपुर की चिल्ड्रन एजुकेशन सोसायटी की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अर्पण पवार ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन की इकाई ताप्ती मिल्स ने सोसायटी को उक्त भूमि दी थी। विद्यालय का संचालन 1964-65 से हो रहा है और इसमें लगभग 4500 छात्र अध्ययनरत हैं। नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन की जमीन का एक मामला पहले से विचाराधीन है और उस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन को दखल देने से इनकार किया था.

लहसुन की फसल की आड़ में अफीम की खेती

पुलिस ने में दबिश देकर 1300 पौधे बरामद किए

उज्जैन, 6 फरवरी. खेत में लहसुन की फसल के बीच अफीम की खेती होने की जानकारी सामने आने पर पुलिस ने दबिश मारी. खेत से 1300 पौधे बरामद हो गए. किस को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अवैध तरीके से मादक पदार्थ की खेती करने का प्रकरण दर्ज किया गया है.

माकड़ोन थाना पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम नांदेड निवासी रघुनाथ उर्फ रुगनाथ देवड़ा द्वारा नांदेड-देवली रोड स्थित खसरा क्रमांक 1458 के अपने खेत में लहसुन की फसल के बीच पाली पर किनारे-किनारे अवैध रूप से अफीम के पौधे उगाए गए हैं. सूचना पर थाना प्रभारी प्रदीप सिंह राजपूत में टीम के साथ खेत में दबिश गई. जहां लहसुन की फसल के बीच अफीम के पौधे लगे होना सामने आए. खेत मालिक रघुनाथ देवड़ा को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई, उसने अफीम की खेती से जुड़े कोई दस्तावेज नहीं होना बताया. जिसके चलते रघुनाथ देवड़ा के खिलाफ अवैध तरीके से मादक पदार्थ के पौधों की खेती करने का मामला एनडीपीएस एक्ट की धारा में दर्ज किया गया.

जिपं अध्यक्ष के बेटे और भांजे से मारपीट

सरपंच के देवर समेत 30 लोगों ने डंडे मारे

नीमच, 6 फरवरी. नीमच के सगराना गांव स्थित गोल्ड क्रैश फैक्ट्री में जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान के बेटे और भांजे पर जानलेवा हमला कर दिया गया.

पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है. शुक्रवार को इंद्रजीत सिंह और आदित्य फैक्ट्री में रेत के डंपर खाली करवाने और उसका पेमेंट लेने के लिए गए थे. इसी दौरान वहां मौजूद हमलावरों ने उन पर अचानक पत्थर और लाठियों से हमला कर दिया. घटना में आदित्य के सिर और इंद्रजीत के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं.

पुरानी रंजिश और रंगदारी का मामला

जिपं अध्यक्ष सज्जन सिंह ने आरोप लगाया है कि सगराना सरपंच रानीदेवी देवर महेंद्र सिंह ने अपने 30-35 साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है. उन्होंने बताया कि आरोपी महेंद्र सिंह और उसके गुट का पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. इससे पहले भी इस समूह पर फैक्ट्री में रंगदारी मांगने के आरोप लगे थे, जिसके बाद पुलिस ने फैक्ट्री प्रबंधन की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया था.

आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र को अवमानना नोटिस

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल की एकलपीठ ने आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र धनराजु को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामला पूर्व आदेश का पालन न करने से संबंधित है।

यह अवमानना का मामला जिला प्रेरक संघ दमोह के अध्यक्ष चरण सिंह विश्वकर्मा सहित अन्य की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से कहा गया कि पूर्व में याचिकाकर्ताओं ने प्रेरक के पद पर अपनी सेवाओं को बहाल करने के लिए याचिका दायर की थी। इससे पूर्व याचिकाकर्ताओं के संगठन ने कई अभ्यावेदन दिए थे। मुख्य मांग यही की गई थी कि अधिकारियों को निर्णय लेने निर्देश दिया जाए।

महिला आईएएस को कोर्ट से मिली राहत

- युगलपीठ ने सुनवाई कर आदेश पर लगाई रोक

जबलपुर, 6 फरवरी. अवमानना मामले में सजा निर्धारित किये जाने से पूर्व महिला आईएएस अधिकारी को हाईकोर्ट की युगलपीठ से राहत मिल गयी.

हाईकोर्ट की एकलपीठ ने आईएएस महिला अधिकारी को अवमानना का दोषी ठहराते हुए सजा निर्धारित करने शुक्रवार को सुनवाई निर्धारित की थी. महिला आईएएस अधिकारी की तरफ से दायर अपील की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी किये है. याचिका पर अगली सुनवाई 18 फरवरी को निर्धारित की गयी है. याचिका पर अगली सुनवाई 18 फरवरी को निर्धारित की गयी है. नगर निगम भोपाल के द्वारा मर्लिन बिल्डकॉन प्रा लि. कि श्यामला हिल्स स्थित नादिर कॉलोनी में स्थित उसकी 3520 वर्ग फीट में बिल्डिंग की अनुमति 28 अगस्त 2025 को निरस्त कर दी गयी थी. जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका के लंबित रहने के दौरान नगर निगम ने विगत 18 जनवरी को बिल्डिंग का एक हिस्सा तोड दिया था. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने नगर निगम की कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डेमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर एक्ट के तहत पारित दिशा-निर्देश के विपरीत पाया था. एकलपीठ ने मनमानी कार्यवाही किये जाने पर नगर निगम आयुक्त भोपाल संस्कृति जैन को तलब किया था.

याचिका की गत दिवस 5 फरवरी को सुनवाई के दौरान नगर निगम आयुक्त भोपाल संस्कृति जैन एकलपीठ के समक्ष उपस्थित हुई. दो चरणों में सुनवाई पहले के चरण में नगर निगम आयुक्त भोपाल सुश्री संस्कृति जैन एकलपीठ के समक्ष उपस्थित होकर बिना शर्त माफी मांगते हुए हलफनामा प्रस्तुत करने की बात कही थी. दूसरे चरण में शाम साढे बजे हुई सुनवाई के दौरान हलफनामा पेष नहीं किया गया.

ब्लड डोनेट से होंगे ज्योतिर्लिंग के होंगे दर्शन

काशी-तिरूपति की तर्ज पर मंदिर क्षेत्र में लगेगी रक्तदान यूनिट

खंडवा, 6 फरवरी. विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं को अब सामाजिक सेवा के साथ धार्मिक आस्था का विशेष अनुभव देने की तैयारी शुरू हो गई है.

प्रशासन रक्तदान को प्रोत्साहित करने के लिए नई पहल पर काम कर रहा है, जिसके तहत रक्तदान करने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर में ड्क्ड्क्क या शीघ्र दर्शन की सुविधा प्रदान की जाएगी. इस संबंध में खंडवा कलेक्टर द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं. प्रशासनिक योजना के अनुसार ओंकारेश्वर मंदिर क्षेत्र में रक्तदान यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है, जहां आने वाले श्रद्धालु स्वेच्छा से रक्तदान कर सकेंगे. यह व्यवस्था काशी विश्वनाथ और तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर विकसित की जा रही है, जहां सामाजिक सेवा को धार्मिक व्यवस्थाओं से जोड़कर सफल मॉडल बनाया गया है.बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि स्थानीय अस्पतालों और ब्लड बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर नियमित रक्तदान व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

रक्तदाताओं के लिए अलग से व्यवस्था

रक्तदाताओं के लिए अलग से दर्शन व्यवस्था बनाने पर भी जोर दिया गया ताकि उन्हें लंबी कतारों में प्रतीक्षा न करनी पड़े. प्रशासन का मानना है कि इस पहल से जिले में रक्त की उपलब्धता बढ़ेगी और अधिक लोग रक्तदान के लिए प्रेरित होंगे. धार्मिक नगरी ओंकारेश्वर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में रक्तदान जैसी सामाजिक सेवा को जोड़ने से समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा और जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी. फिलहाल योजना प्रारंभिक चरण में है और अंतिम प्रक्रिया एवं पात्रता नियम प्रशासन द्वारा जल्द तय किए जाएंगे.

प्रसन्नजीत रंगारी पाकिस्तान जेल से 07 साल बाद रिहा कर

बालाघाट. जिले के तहसील मुख्यालय खैरलांजी का निवासी गरीब युवक प्रसन्नजीत रंगारी पाकिस्तान जेल में 07 साल तक बंद रहने के बाद रिहा कर दिया गया है. रिहाई के बाद उसे वाघा बार्डर पर भारतीय अधिकारियों को सौंपा गया है. प्रसन्नजीत को अमृतसर से खैरलांजी लाने के लिए उसके परिवार ने बालाघाट जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई थी. कलेक्टर मृणाल मीना ने प्रसन्नजीत के परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए संवेदनशीलता दिखाई और प्रसन्नजीत को अमृतसर से खैरलांजी लाने के इंतजाम कर उसके परिजनों के साथ एक टीम अमृतसर रवाना की थी.

अब आसमान से होगी जंगलों की रखवाली

इंदौर वनमंडल में बनेगा ड्रोन स्क्वाड, हाईटेक तकनीक से होगी निगरानी

- अधिकारियों को दिया जाएगा विशेष प्रशिक्षण

नव भारत न्यूज

इंदौर. वन क्षेत्रों में बढ़ते अतिक्रमण, लकड़ी तस्करी और वन्यप्राणियों के शिकार पर रोक लगाने के लिए इंदौर वनमंडल अब हाईटेक तकनीक का सहारा लेने जा रहा है. बताया गया कि वन विभाग इंदौर, महू, मानपुर और चोरल के जंगलों की निगरानी के लिए जल्द ही ड्रोन स्क्वाड गठित करने की दिशा में काम शुरू कर चुका है.

इंदौर वनमंडल को आधुनिक निगरानी प्रणाली से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है. अब जंगलों में होने वाली अवैध गतिविधियों पर जमीन से नहीं, बल्कि आसमान से नजर रखी जाएगी. इसके तहत वन विभाग ड्रोन स्क्वाड की स्थापना करने जा रहा है, जिससे अतिक्रमण, अवैध कटाई, वन्यप्राणियों की सुरक्षा और वन अपराधों पर लगातार निगरानी संभव हो सकेगी. इंदौर डीएफओ लाल सुधाकर सिंह ने नव भारत प्रतिनिधि को बताया कि ड्रोन स्क्वाड की रूपरेखा तैयार की जा रही है और इसकी प्रारंभिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. हाईटेक ड्रोन तकनीक से जुड़े इंजीनियर पहले विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे, ताकि ड्रोन के माध्यम से जंगलों की प्रभावी निगरानी की जा सके.

शुरुआती चरण में ड्रोन संचालन के लिए विशेष ऑपरेटर भी टीम के साथ मौजूद रहेगा. ड्रोन तकनीक के उपयोग से दुर्गम वन क्षेत्रों तक आसानी से पहुंच बन सकेगी और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत पहचान की जा सकेगी. इससे समय रहते कार्रवाई करना भी आसान होगा. ड्रोन स्क्वाड के शुरू होने से वन संपदा के संरक्षण को जहां नई मजबूती मिलेगी वहीं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण भी रखा जा सकेगा.

कार्रवाई ▶ सीजीएसटी जबलपुर की नौ फर्मों पर छापेमारी, सीधी, सतना, कटनी में मचा हड़कंप

करोड़ों के फर्जी आईटीसी रैकेट का भंडाफोड़

जबलपुर, 6 फरवरी. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) आयुक्तालय, जबलपुर ने टैक्स चोरी और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (फर्जी आईटीसी) पास करने वाले गिरोहों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है.

शुक्रवार को एक साथ सीधी, सतना, कटनी में नौ फर्मों में कार्रवाई की गई है. फर्मों में कोयले के फर्जी खरीदी बिक्री के नाम पर करोड़ों की बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट के लेनदेन के संबंध में कार्यवाही की गई है. कार्यवाही के दौरान ज्यादातर फर्म अपने पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं पायी गयी और न ही कोई वास्तविक व्यवसाय करते मिली और करोड़ों के बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट लेन देन करने वाली फार्मों के जाल का भंडाफोड़ हुआ. अचानक हुई फर्मों पर कार्रवाई से हेराफेरी, गड़बड़झाला करने वाली फर्मों के मालिकों में हड़कंप मचा रहा.

जानकारी के मुताबिक केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) आयुक्तालय, जबलपुर को खुफिया जानकारी मिली थी कि सीधी, सतना, कटनी क्षेत्रों में कई ऐसी फर्में पंजीकृत हैं जो केवल कागजों पर चल रही हैं और इनका उपयोग कोयले की फर्जी बिलिंग कर गलत तरीके से आईटीसी का लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है. केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर जबलपुर आयुक्त लोकेश लिल्हारे के कुशल नेतृत्व में निवारक शाखा के अधिकारियों ने एक साथ नौ फर्मों में छापेमारे तो टीम को चौंकाने वाले तथ्य मिले. जांच की गई 9 फर्मों में से 8 फर्मे अपने पंजीकृत पते पर अस्तित्वहीन या गैर-परिचालन पाई गईं. नौ फर्मों का मौके पर कोई नामो-निशान नहीं था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इनका गठन केवल सरकारी राजस्व को चूना लगाने के लिए किया गया था. इन फर्जी फर्मों ने खरीदी बिक्री के नाम पर करोड़ों की बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट के लेनदेन किया.

इन फर्मों में कार्रवाई

सीधी की मेसर्स श्री बालाजी एसोसिएट, मेसर्स महादेव ट्रेडर्स, मेसर्स मिश्रा ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स गायत्री एंटरप्राइजेज, मेसर्स आदित्य फिलिंग स्टेशन एवं कटनी की मेसर्स जय श्री बालाजी कोल ट्रेडर्स, मेसर्स कुमार ट्रेडिंग कंपनी और सतना की मेसर्स रिशाल एसोसिएट्स, मेसर्स भव्यंश सेल्स एंड लॉजिस्टिक्स में एक साथ कार्रवाई की गई है. सीजीएसटी विभाग अब इन फर्मों द्वारा काटे गए बिलों और पास की गई.

पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने दिया कांग्रेस से त्याग पत्र

रीवा, 6 फरवरी. कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी का दो साल के अंदर ही कांग्रेस से मोह भंग हो गया और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र देते हुए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को पत्र लिखकर अपना दर्द बयां करते हुए प्राथमिक सदस्यता त्याग पत्र की जानकारी दी है. अपने त्याग पत्र में श्री तिवारी ने कई कारण बताते हुए पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी और चाटूकारिता का उल्लेख करते हुए कहा कि जमीनी कार्यकर्ताओं को महत्व नही दिया जा रहा है. पूर्व विधायक श्री तिवारी अब किस पार्टी में शामिल होगे यह तो भविष्य ही बताएगा.

अम्बेडकर की प्रतिमा खंडित होने पर बबाल

ग्वालियर, 6 फरवरी. बिलौआ में असामाजिक तत्वों द्वारा डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा खंडित कर दी गई. जब अनुयायियों को पता लगा, तो वह आक्रोशित होकर हंगामा करने लगे.

सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस प प्रशासनिक अफसरों ने तुरंत नई प्रतिमा मंगवाकर उसका अनावरण करवाया, जिससे विवाद टल गया. अन्यथा माहौल बिगड़ सकता था. जानकारी के मुताबिक बिलौआ के जाटव मोहल्ला स्थित पार्क में जब वहां का चौकीदार पहुंचा, तो पार्क में लगी डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा का हाथ टूटा देख चौंक गया. इसका पता लगने पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों सहित भीम आर्मी व अन्य संगठनों के पदाधिकारी वहां

पहुंच गए. जो घटना पर आक्रोश जताते हुए आंदोलन की रूपरेखा बनाने लगे. बिलौआ टीआई इला टंडन ने सीनियर ऑफिसर्स को घटना की जानकारी दी तथा स्वयं तत्काल फोर्स के साथ मौके पर पहुंचीं. जिन्होंने वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं थे. उनकी मांग थी, कि उक्त कृत्य करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.